(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी बनाम गजेन्द्र अरोड़ा सप्लाई विविध प्रकरण सं0 10/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.18	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीपक्ष इत्तला बावजूद अनुपस्थित। पत्रावली देखी गई। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण व प्रदाय विनियमन) आदेश, 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी गजेन्द्र अरोड़ा पुत्र श्रीवल्लभ, मैसर्स अरोड़ा किचन एम्पोरियम नसरानी बिल्डिंग, प्रथम पुलिया जोधपुर निवासी सी–191, कमला नेहरू नगर, चौपासनी रोड़, जोधपुर के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि दिनांक 13.04. 2018 को रसाई गैस की कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यक प्रयोग में लेने के कम में प्रवर्तन निरीक्षक ने अप्रार्थी की फर्म मै0 अरोड़ा किचन एम्पोरियम का निरीक्षण किया गया। मौके पर 02 एच पी घरेलू गैस सिलेण्डर, 16 पेट्रोमेक्स, 2 रेगूलेटर, 3 गैस भरने वाली बांसूरिया डबल साईड नोजल व इलेक्ट्रोनिक कांटा संग्रहण कर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी का कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियिमन) आदेश, 2000 के उपाबन्धों की अवेहलना होने से धारा 3/7, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध मानते हुए मौके पर से 02 एचपी घरेलू गैस सिलेण्डर, 16 पेट्रोमेक्स, 2 रेगूलेटर, 3 गैस भरने वाली बांसूरिया डबल साईड नोजल व इलेक्ट्रोनिक कांटा जब्त किया गया, जिन्हें राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को सुनवाई के लिए नौटिस जारी किया गया। अप्रार्थी दिनांक 21.05.2018 को अजखुद उपस्थित हुआ तथा जबाब एवं बहस के लिए समय चाहा गया। अप्रार्थीपक्ष दिनांक 11.06.18, 16.07.18 व 25.07.18 को पेशी रखी की गई, परन्तु उपस्थित नहीं हुआ, न जबाब पेश किया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की जाती है तथा विभागीय कार्यवाही की पुष्टि करते हुए जब्तसुदा 02 एचपी घरेलू गैस सिलेण्डर, 16 पेट्रोमेक्स, 2 रेगूलेटर, 3 गैस भरने वाली बांसूरिया डबल साईड नोजल व इलेक्ट्रोनिक कांटा को राज्यसात् किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित लगातार....	

Scanned with CamScanner

किया जाता है कि राज्यसात् किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर संबंधित कम्पनी में जमा करावे तथा निलामी योग्य माल निलाम किया जावे तथा उनसे प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जाय। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Scanned with CamScanner